न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–187/2017
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम दिनेश कुमार एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश

27.07.2018

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 1674/सी0आर0 (विविध), दिनांक 17.09..2017 से प्राप्त मनीगाछी थाना कांड संख्या–153/2017 दिनांक 11.07.2017 में जब्त ट्रक नं0– **HR46C-9175** एवं बहेड़ा थाना कांड सं0–256/2017 दिनांक 11.07.2017 में जप्त बोलेरा गाड़ी नं0–**BR07PA-6163** में अवैध शराब के कारोबार एवं परिवहन के कारण बिहार मद्य निषेद्य उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत राज्यसात् के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी को अपना रक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात् वाहन स्वामी की ओर से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकनोपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा बहेड़ा थाना कांड संख्या–256/17 में जब्त बोलेरो गाड़ी नं0–**BR07PA-6163** को राज्यसात् हेतु दिनांक 08.12.2017 को आदेश पारित है।

इसी क्रम में उक्त बोलेरो के स्वामी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर **Cr. W.J.C** नम्बर 792/18/ **C.W.J.C** नं0–8959/18 में दिनांक 17.05.2018 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया है, का अवलोकन किया अवलोकनोपरान्त वाहन स्वामी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बन्धपत्र, दो प्रतिभूति वाहन के बीमित मूल्य के अनुरूप तथा शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में पुनः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त वाद में दिनांक 26.06.2018 को संबंधित आदेश की प्रति के साथ बंधपत्र, शपथ पत्र तथा दो प्रतिभूति बोलेरो के वाहन स्वामी द्वारा दाखिल किया गया है, का अवलोकन किया।

विद्वान विभागीय अधिवक्ता का कथन है बहेड़ा थाना कांड संख्या–256/17 में जब्त बोलेरो नं0–**BR07PA-6163** जो वर्त्तमान में मनीगाछी थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है को विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर–792/2018 दिनांक 26.06.2018 के आलोक में उक्त जब्त बोलेरो को विमुक्त किया जा सकता है।

वाहन स्वामी द्वारा वाहन विमुक्ति हेतु प्रस्तुत दो प्रतिभूति निम्न प्रकार हैः– (1) सुरेन्द्र यादव, पिता–जंगल यादव, साकिन–लक्षमीनियाँ, बेर, कुशेश्वरस्थान, जिला–दरभंगा का निबंधित केवाला संख्या–1348 दिनांक 01.02.2010 कीमत 59,000/- (उन्सठ हजार) रुपये तथा निबंधित केवाला संख्या–8609 दिनांक 09.10.2017 कीमत 1,75,000/- (एक लाख पछहत्तर

हजार रूपये एवं एवं निबंधित केवाला संख्या–5810 दिनांक 10.07.20..
कीमत 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये मात्र कुल कीमत 5,84,000 (पाँच लाख चौरासी हजार) रूपये (2) विजय पोद्दार, पिता– योगन्द्र पोद्दार, साकिन–मोहीम खुर्द, पो0+थाना–कुशेश्वरस्थान, जिला– दरभंगा का वाहन संख्या–**BR07PA-6287** (स्कॉर्पियो) बीमित मूल्य के अनुसार कीमत 6,71,900/- (छः लाख एकहत्तर हजार नौ सौ) रुपये मात्र, का दिया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य 5,36,000/- (पाँच लाख छत्तीस हजार) रुपये मात्र है।

प्रस्तुत सभी कागजात विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित एवं विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है, जिसे जाँचोपरान्त स्वीकृत किया जाता है।

अतएव वाहन संख्या–**BR07PA-6163** (बोलेरो) के वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत बन्धपत्र, शपथ पत्र, प्रतिभूति एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के **Cr. W.J.C** नं0–792/18/ **C.W.J.C** नं0– 8959/18 में पारित आदेश दिनांक 17.05.18 तथा संशोधित आदेश दिनांक 26.08.18 के आलोक में बहेड़ा थाना कांड संख्या–256/2017 में जब्त उक्त वाहन बोलेरो नं0–**BR07PA-6163** जो मनीगाछी थाना में सुरक्षित रखा हुआ है को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही मनीगाछी थाना कांड संख्या–753/17 में जब्त ट्रक सं0–**HR46C-9175** के वास्तविक वाहन स्वामी का नाम/पता जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा से प्राप्त कर नोटिस निर्गत करते हुए तामिला सुनिश्चित करायें।

पारित आदेश वाहन विमुक्ति हेतु बंध–पत्र, प्रतिभूति तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त वाद में पारित दिनांक 17.05.2018 एवं 26.08.2018 की छायाप्रति के साथ थानाध्यक्ष, मनीगाछी थाना को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, बहेड़ा को आवश्यक कार्यार्थ भेजें।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, को आवश्यक कार्यार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ बहेड़ा थाना कांड संख्या–256/17 की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।